सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 85/18 **निर्णय दिनांकः— 12.07.2019**

1. मनोहर सिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी श्री बालाजी तहसील व जिला नागौर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1.	श्रीमती सोहन कंवर बेवा हजारी सिंह	जाति राजपूत निवासी श्रीबालाजी तहसील व जिला बीकानेर।
2.	फतेह सिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह	
3.	प्रभू सिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह	
4.	करणी सिंह पुत्र स्व. हजारी सिंह	
5.	श्रीमती चम्पादेवी पत्नी आसूराम	जाति जाट निवासी चरकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
6.	श्रीमती मूलीदेवी पत्नी अमराराम	
7.	राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज.।	

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30—08—2018
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः

1. श्री हरीश व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धनश्याम पुरालिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30—08—2018 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चरकड़ा तहसील नोखा के खसरा नम्बर 1822 रकबा 15.0500 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में से अपीलांट/वादी के पिता स्व. भागीरथ सिंह 3.7625 हेक्टर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। भागीरथ सिंह के स्वर्गवास के उपरान्त विरासतन इंतकाल वादी/अपीलांट के पक्ष में दर्ज नहीं करके रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण संख्या 1ता 4 वारिसान स्व. हजारीराम के हक व हिस्से में दर्ज कर दिया गया। जोकि सर्वथा गलत है। वादी के स्व. पिता भागीरथ सिंह सहित चार भाईयों स्व. भागीरथ सिंह, स्व. हजारीसिंह, स्व. चोख सिंह, स्व. किशनसिंह का वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त हिस्सा निहित है। स्व. चोख सिंह व किशन सिंह ने अपने हक व हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को विक्रय कर दी गई। इसी कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 के नाम संयुक्त खाते में दर्ज है।

उन्होनें आगे बताया कि वादी/अपीलांट द्वारा इसी अनुतोष को लेकर उसकी विरासतन हक की भूमि का संयुक्त खातेदारी का स्व. भागीरथ सिंह के स्थान पर धोषित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करने का अनुतोष एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के साथ दर्ज गलत अंकन हो हटाने की इस्तदुआ की गई। इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा इकबाल दावा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। स्टेट की तरफ से जवाब दावा स्वीकार किया गया कि राजस्व रिकार्ड में मनोहर सिंह के पिता स्व. भागीरथ सिंह का नाम दर्ज है एवं स्व. भागीरथ सिंह 3.7625 हेक्टर के खातेदारी होने का अंकन है। उपरोक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य के आधार पर कि वादी के पिता भागीरथ सिंह की विरासत के संबंध में अपने पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए इंतकाल दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी, तथा इंतकाल दर्ज नहीं होने की स्थिति में उसके विरूद्व चाराजोई करनी चाहिए थी। सर्वथा गलत व्याख्या है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुए वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अन्य सह खातेदारों द्वारा

इकबालदावा भी प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम रिकार्ड वादी के पक्ष होते हुए भी आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादी/अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे व न्यायालय हाजा को प्राप्त शक्तियों के तहत अपीलांट/वादी का वाद धोषणात्मक स्वीकार किया जाकर धोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर निर्णय पारित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि उसने भागीरथ सिंह के वारिस की हैसियत से ग्राम पंचायत व तहसीलदार के समक्ष नामान्तरणकरण हेतु समय–समय पर दरखवाश्त दी थी, परन्तु किसी भी स्तर पर जॉच नहीं की तथा न ही निर्णय किया गया। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकारों की धोषणा का वाद लाना पड़ा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस संबंध में साक्ष्य लेकर धोषणा की जानी थी, या तहसीलदार की कार्यवाही की मोनटरिंग की जाकर नामान्तरणकरण बाबत् समुचित निर्णय करवाया जाना था। परन्तु अपीलांट को किसी भी स्तर पर अनुतोष नहीं मिला। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील के अलावा कोई चारा नहीं था।

चूंकि प्रकरण में तमाम कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार स्तर पर अपेक्षित है तथा उन्हीं के द्वारा अपीलांट/वादी के वारिसों की जॉच करते हुए नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जानी है। परीक्षण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को ध्यान में रखे बिना व बिना जॉच किये आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—08—2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे भागीरथ सिंह के वारिसों की समुचित जॉच करते हुए तहसीलदार स्तर पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही पूर्ण करवायें।

8. निर्णय आज दिनांक 12—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर